24

।। महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर।।

क्रमांक :सामान्य/3/2007/87847-82 दिनांक: 24-1-08

1— समस्त अधीक्षक/उपाधीक्षक
केन्द्रीय/जिला कारागृह राजस्थान
2— उपाधीक्षक,
महिला बंदी सुधारगृह जयपुर/जोधपुर

:: परिपत्र ::

विषयः— डी.बी.सिविल रिट पिटीशन न0 2421/07 मुकेश शर्मा बनाम राज्य सरकार एवं अन्य

—00—

उपर्युक्त डी.बी.सिविल रिट पिटीशन न0 2421/07 मुकेश शर्मा बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, खण्डपीठ जयपुर द्वारा दिनांक 23.1.08 को पारित निर्णय के संदर्भ में लेख है कि महानिदेशालय के पत्र क्रमांक सामान्य/03/2007/38136–38236 दिनांक 15.2.07 के तहत् राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.6(1)गृह–12/कारा/2002 दिनांक 17.1.07 के द्वारा राजस्थान प्रिजनर्स (शार्टनिंग ऑफ सैन्टेन्सेज) नियम 2006 की प्रति भिजवाई गई थी जिसके नियम 8 के उप नियम 2(i)(ii) में आजीवन कारावास के बंदियों (433 सी.आर.पी.सी के अन्तर्गत) जिन्होने 14 वर्ष की सजा मय विचाराधीन अवधि के पूर्ण कर ली हो तथा 4 वर्ष का अर्जित परिहार के आधार पर समय पूर्व रिहाई के लिये पात्र माना जाकर ऐसे प्रकरण सलाहकार मण्डल के समक्ष रखे जाने के निर्देश दिये गये थे।

मान0 राज0 उच्च न्यायालय, खण्डपीठ जयपुर द्वारा उक्त निर्णय मे 4 वर्ष के अर्जित परिहार की शर्त को निरस्त कर दिया गया है। अतः मान0 न्यायालय के उक्त निर्णय के परिपेक्ष में आदेशित किया जाता है कि आपकी कारागृह एवं आपके अधिनस्थ कारागृह तथा आपके अधीन आने वाले बंदी खुले शिविर में निरूद्व आजीवन कारावास के ऐसे बंदियों के समय पूर्व रिहाई के प्रकरण सलाहकर मण्डल के समक्ष एक माह की अवधि में आवश्यक रूप से रखें जावे जिन्होनें विचाराधीन अवधि सहित 14 वर्ष की सजा पूर्ण कर ली हो।

मान0 न्यायालय के आदेशों की पालना अक्षरतः करें, इसमें किसी प्रकार की शिथिलता नहीं बरती जावे। यदि मान0 न्यायालय के आदेशों की पालना में आपके द्वारा किसी प्रकार से शिथिलता बरती जावेगी, तो उसके लिये मान0 न्यायालय के आदेशों की अवहेलना के लिये आप व्यक्तिशः जिम्मेदार होगें।

परिपत्र प्राप्ति की रसीद स्वंय के हस्ताक्षरों से प्रेषित करें।

महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान जयपुर